UPEW010018552022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष सं0 01, इटावा।

उपस्थित– अहसान हुसैन.......................... एच 0 जे0 एस 0

जे0 ओ 0 सं0–यू0 पी0 05981

दाण्डिक अपील संख्याः–18 सन् 2022

1. श्रीपाल पुत्र गेंदालाल,

2. विनोद पुत्र गेंदालाल

3. वीरेन्द्र पुत्र गेंदालाल,

4. मोहनलाल पुत्र अंगद जाटव,

निवासीगण ग्राम पूरनपुरा, थाना ऊसराहार, जिला इटावा।

....................अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। ....विपक्षी।

अ०सं०–65/2006

धारा 323/34,504,325/34 भा0 दं0 सं0,

थाना ऊसराहार, जिला इटावा

<u>निर्णय</u>

01. प्रस्तुत दाण्डिक अपील सं0 18/2022, श्रीपाल आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, दण्ड वाद सं0 505/2009, अ 0 सं0–65/2006, राज्य बनाम श्रीपाल आदि अन्तर्गत धारा 323,504,325 भा0 दं0 सं0, थाना ऊसराहार, जिला इटावा में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०–4 इटावा द्वारा पारित आलोच्य निर्णय/आदेश दिनांकित 28.03.2022 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसमें अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 323,325,504 भा0 दं0 सं0 में दोषसिद्ध करते हुए धारा 323 भा०दं०सं० के अंतर्गत 03–03

माह के साधारण कारावास तथा 500/–,500/–रूपये के अर्थदण्ड से,धारा 325 भा०दं०सं० के अंतर्गत एक–एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 1,000/–,1,000/–रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 504 भा०दं०सं० के अंतर्गत 03–03 माह के साधारण कारावास तथा 500/–,500/–रूपये के अर्थदण्ड से,दण्डित किया गया है।

2. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील के कथनों का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किये गये कि विद्वान विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांकित 28/03/2022 नियम कानून एवं विधि विधान के विपरीत है, उनके द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही विश्लेषण नहीं किया गया है। उपरोक्त घटनाक्रम में अपीलार्थी मोहनलाल व राम भरोसे एवं श्रीमती कान्ती देवी को अभियोगी/मजरूब राधाकृष्ण व उसके भाई दयाकिशन व वीरेन्द्र एवं मोतीलाल द्वारा मारपीटकर चोटें पहुँचाई गई जिनका चिकित्सकीय परीक्षण दिनांक 14/09/2006 को घटना वाले ही दिन जिला चिकित्सालय में डा० के०के० तिवारी द्वारा किया गया और सभी मजरूबान के जाहिरा चोटें पाई गई। इस सम्बन्ध में अपीलार्थीगण की ओर से एक एन०सी०आर० संख्या 51/2006 वादी राम भरोसे द्वारा राधाकिशन आदि के विरूद्ध थाना ऊसराहार में दर्ज करायी गई थी। तदोपरान्त एन०सी०आर० की विवेचना हेतु एक प्रार्थना पत्र विद्वान विचारण न्यायालय में दिनांक 18/10/2006 को अन्तर्गत धारा 155 (2) दं०प्र०सं० प्रचलित किया गया । अपीलार्थीगण की ओर से अपने बचाव में साक्षीगण के रूप में डी०डब्लू०–1 डा० के०के० तिवारी वरिष्ठ परामर्शदाता जिला अस्पताल इटावा को दिनांक 05/04/2013 को परीक्षित कराया गया। उन्होनें

बचाव पक्ष के साक्षी के रूप में अपीलार्थीगण की ओर से मजरूब राम भरोसे, मजरूब मोहनलाल व मजरूब श्रीमती कान्ती देवी की डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट को साबित किया है। अभियोजनपक्ष द्वारा अपीलार्थी व उसके पक्ष के लोगों को आई हुई चोटों का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है परन्तु पी०डब्लू०–1 राधाकृष्ण द्वारा अभियुक्तगण को हुयी मारपीट व मार पीट मे उन्हें चोटें आई की स्वीकारोक्ति अपनी प्रतिपरीक्षा में की गई है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पक्ष की ओर आई चोटों का कोई विश्लेषण प्रश्नगत निर्णय में नहीं किया गया है जबकि विधि व्यवस्था यह है कि यदि अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण/अपीलान्ट पक्ष की ओर आई चोटों का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है तो माना यह जावेगा कि अभियोजन पक्ष ने घटना के वास्तविक तथ्यों को छिपाया है और अभियोजन कथानक स्वच्छ नहीं है। इस तथ्य का विश्लेषण विचारण न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण की ओर से दर्ज करायी गई एन०सी०आर० संख्या 51/2006 को रामभरोसे की मृत्यु के उपरान्त द्वितीय साक्षी के रूप में डी०डब्लू० अपीलार्थी श्रीपाल द्वारा साबित कराया गया है और अभियोजन साक्षी के रूप में विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षीगण ने अपने बयानों में इस बिन्दु पर कोई साक्ष्य नहीं दी गयी है कि मजरूब राधाकृष्ण के बांयी कलाई में अस्थिभंग किस अभियुक्त द्वारा कारित किया गया है। ऐसी स्थिति में उन्हें केवल धारा 325 भा०दं०सं० के अन्तर्गत ही दोष सिद्ध किया जा सकता है। अभियोजन साक्षी संख्या 4 के रूप में डा० के०के० तिवारी द्वारा मजरूब राधाकृष्ण के बदन पर आई चोटों के सम्बन्ध में कहा है कि "राधाकृष्ण की सभी चोटें गिरकर लुढकनें से आ सकती है तथा संगीता के चोटें ईंट पर फिसलने

से आ सकती है।" इसी क्रम में अभियोजन साक्षी संख्या 5 डा० एम०के० जैन ने अपनी प्रति परीक्षा में कहा है कि इस प्रकार का अस्थि भंग साधारण गिरने से आना सम्भव है परन्तु विधान विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य का कोई विश्लेषण अपने निर्णय में नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को धारा 504 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाना न्याय संगत नहीं है क्योंकि मान्य उच्च न्यायालय व मान्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गई है कि गाली देने की साक्ष्य में यदि विशिष्ट शब्दावली (गाली) का प्रयोग यदि अभियोजन साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को धारा 504 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त दण्ड वाद के परीक्षण में न्यायालय को यह सुनिश्चित करना था कि कौन सा पक्ष अग्रसर था। यह तथ्य क्रास केस या काउन्टर केस की स्थिति में विनिश्चित किया जाना न्यायिक दृष्टिकोण से आवश्यक है। जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय ने न तो कोई तबज्जह दिया है और न ही इस बिन्दु पर कोई विश्लेषण ही किया है। साक्ष्य में आया है कि दोनों पक्षों के मध्य भूमि को लेकर विवाद हुआ। अभियोजन साक्ष्य जो विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई है। उससे यह तथ्य भी निर्विवादित है कि झगडा उस भूमि पर हुआ जो अभियुक्तगण के कब्जे में घटना से पूर्व से थी। मान्य सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी परिस्थितियों में विधि व्यवस्था के अनुरूप यह विनिश्चित किया है कि यदि दूसरे पक्ष ने किसी अन्य पक्ष के स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि पर जाकर विवाद किया है जो उसे ही अग्रसर माना जायेगा। मान्य सर्वोच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था के अनुरूप यह भी विनिश्चित किया है कि ऐसी स्थिति में यह तथ्य भी मायने नहीं

रखता है कि किस पक्ष को ज्यादा चोटें आई है और किस पक्ष को कम चोटें आई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी विधि व्यवस्था दी है कि चोटों के आधार पर अग्रसर तय नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अग्रसर की श्रेणी में आता है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से मात्र हितवद्ध साक्षी प्रस्तुत किये गये। निष्पक्ष साक्षीगण के कोई बयानात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त दण्ड वाद में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय व आदेश दिनांकित 28.03.2022 का क्रियान्वयन फैसला अपील हाजा तक रोका जाना किया जाना परम आवश्यक है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पारित निर्णय/आदेश अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

3. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा तर्क किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश विधि अनुरूप है एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पारित किया गया है, निर्णय विधिसम्मत् है। अतः अपील निरस्त की जाये।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राधाकिशन द्वारा थाना ऊसराहार, जिला इटावा में दिनांक 14.09.2006 समय 09.05 ए०एम० पर मौखिक सूचना इस आशय की दी गयी कि दिनांक 14.09.2006 को समय 8.00 बजे प्रातः स्थान पेश दरवाजा घनश्याम अंतर्गत थाना ऊसराहार जिला इटावा में सहन की जमीन के बंटवारे को लेकर अभियुक्तगण श्रीपाल, वीरेन्द्र,विनोद व मोहन लाल उससे गाली गलौज करने लगे,

जब उसने गाली गलौज करने से मना किया तो अभियुक्तगण लाठी डण्डों से उसे मारने पीटने लगे, जब वह चिल्लाया तो उसकी पत्नी संगीता उसे बचाने आयी तो उसे भी मारा पीटा। इस घटना को देखने गांव के बहुत से आदमी आ गये। जिन्होने देखा तथा बचाया। उसके व उसकी पत्नी के काफी चोटें आयी हैं। उसकी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

5. वादी मुकदमा राधा किशन की उक्त जुबानी सूचना के आधार पर थाना ऊसराहार, जिला इटावा में एन०सी०आर०सं० 50/2006 अंतर्गत धारा 323,504 भा०दं०सं० अभियुक्तगण श्रीपाल, वीरेन्द्र, विनोद कुमार एवं मोहन लाल के विरूद्ध पंजीकृत की गयी। मजरूब राधाकिशन व संगीता के चिकित्सीय परीक्षण क्रमशः प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–2 एवं एक्स–रे परीक्षण प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 डा०बी०आर० अम्बेडकर जिला चिकित्सालय (इटावा) पर कराये गये जिसके आधार पर दिनांक 26.09.2006 को रपट सं0 36 समय 21.10 बजे प्रदर्श क–5 मुकदमा अ0सं0–65/206, धारा 323,325,504 भा0 दं0 सं0 में तरमीम किया गया। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्श–नजरी प्रदर्श क–6 तैयार किया गया, गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0 प्र0 सं0 अंकित किये गये एवं विवेचना में अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र प्रदर्श क–7 अंतर्गत धारा 323,504,325 भा०दं०सं० विद्वान विचारण न्यायालय में प्रेषित किया गया जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.11.2006 को प्रसंज्ञान लिया गया।

6. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 15.10.2007 को धारा 323/34,325/34,504 भा0 दं0 सं0 का आरोप

विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया एवं परीक्षण की मांग की।

7. विद्वान विचारण न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में पी0 डब्लू0–1 के रूप में वादी राधाकृष्ण, पी0 डब्लू0–2 के रूप में योगराज, पी0 डब्लू0–3 के रूप में संगीता, पी0 डब्लू0–4 के रूप में डॉक्टर के०के०तिवारी, पी0 डब्लू0–5 के रूप में डा०एम०के०जैन,पी0 डब्लू0–6 के रूप में विश्वनाथ,पी0 डब्लू0–7 के रूप में उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह यादव एवं पी0 डब्लू0–8 के रूप में कां० देव सिंह को परीक्षित कराया गया।

8. विद्वान विचारण न्यायालय में अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य मेंन 0 सी0 आर 0 की छाया प्रति प्रदर्श–क 1, चिकित्सीय परीक्षण आख्या राधा किशन प्रदर्श क–2, चिकित्सीय परीक्षण आख्या संगीता प्रदर्श क–3, एक्स–रे रिपोर्ट संगीता प्रदर्श–क 4, एक्स–रे रिपोर्ट राधा किशन प्रदर्श–क 5,एक्स–रे प्लेट वस्तु प्रदर्श–1 ता वस्तु प्रदर्श–3 नक्शा नजरी प्रदर्श क–6, आरोप पत्र प्रदर्श–क 7 के रूप में साबित किये गये। तत्पश्चात अभियोजन ने अपना साक्ष्य समाप्त किया।

9. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 लेखबद्ध किये गये, जिसमें उन्होंने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए मुकदमा झूठा व रंजिशन चलना कहा एवं सफाई साक्ष्य देने का कथन किया है।

10. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य में डी०डब्लू०–1 के रूप में डॉ० के०के० तिवारी तथा डी०डब्लू०–2 के रूप में अभियुक्त श्रीपाल को परीक्षित कराया गया है एवं प्रलेखीय साक्ष्य में एन०सी०आर० सं०–51/2006

प्रपत्र सं० क–27, चिकित्सीय परीक्षण रामभरोसे प्रपत्र सं० क–28/1, चिकित्सीय परीक्षण मोहनलाल प्रपत्र सं० क 28/2, चिकित्सीय परीक्षण शान्ती देवी प्रपत्र सं० क–28/3 को संदर्भित किया, जिन पर क्रमशः प्रदर्श सं० ख–4, ख–1, ख–2 तथा ख–3 अंकित किये गये।

11. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा राधाकृष्ण द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 14.09.2006 को सुबह 8:00 बजे की घटना है। वह अपने घर पर था। मोहनलाल उनके घर पर रुका और कहा कि विवादित जगह कौन–सी है। घटनास्थल पर उसे लेकर आया, वहाँ पर पहले से श्रीकृष्ण, वीरेन्द्र, विनोद मौजूद थे तथा मोहन लाल उसे लेकर आया था। चारों लोग गाली–गलौज व लाठी–डण्डों से उसे मारने लगे। चिल्लाने पर उसकी पत्नी बचाने आयी तो उसकी भी मारपीट की। मारपीट में उसे व उसकी पत्नी के चोटें आयीं थीं। वह घटना की रिपोर्ट लिखाने थाने गया जहाँ पर उसने बोल बोलकर रिपोर्ट लिखायी तथा अपना व अपनी पत्नी की चोटों का डॉक्टरी मुआयना कराया था तथा उसकी चोट का एक्सरे भी हुआ। घटना के बारे में दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

12. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 योगराज द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि लगभग डेढ़ वर्ष पहले की घटना है। दिनांक 14.09.2006 को वादी मुकदमा राधाकृष्ण को मोहनलाल यह कहकर ले गये थे कि जिस जमीन पर विवाद है उसे आकर दिखा दो। राधाकृष्ण, मोहनलाल के साथ घनश्याम के मकान के पास पहुँचे थे कि अभियुक्तगण वीरेन्द्र, श्रीपाल व विनोद अपने–अपने हाथों में लाठी–डण्डा लेकर निकले तथा राधाकृष्ण को गाली–गलौज करने लगे। राधाकृष्ण ने गाली–गलौज करने से मना किया तो मुल्जिमान वीरेन्द्र, श्रीपाल, विनोद व मोहनलाल को लाठी–डण्डों व लात–घूसों से मारने लगे। राधाकृष्ण के चिल्लाने पर राधाकृष्ण की पत्नी संगीता,

विश्वनाथ व वह तथा अन्य गांव के तमाम लोग आ गये। पत्नी संगीता बचाने आयी तो उसे भी मुल्जिमानों ने गाली–गलौज करते हुए मारा–पीटा। उन लोगों के बीच–बचाव करने पर मुल्जिमान चले गये। राधाकृष्ण व उसकी पत्नी को काफी चोटें आयी थीं। वह मौके पर मौजूद था और घटना देखी थी तथा बीच–बचाव किया था। दरोगा जी ने घटना के संबंध में उसका बयान लिया था।

13. साक्षी पी०डब्लू०–3 संगीता द्वारा मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि लगभग 2 वर्ष पहले की घटना है। सुबह 8:00 बजे का समय था। उसके पति घर पर खाना खाकर स्कूल जाने को तैयार हो रहे थे तभी उसके गांव के मोहन लाल उसके घर पर आये तथा उसके पति को ले गये और कहा कि वह जमीन उसे दिखाओ जिस पर विवाद है। उसके पति जैसे ही घनश्याम के घर के सामने पहुँचे तभी श्रीपाल, विनोद, वीरेन्द्र व मोहनलाल अपने घर से अपने हाथ में लाठी–डण्डा लेकर निकले तथा उसके पति को गाली–गलौज किया। उसके पति ने गाली–गलौज देने से मना किया तो मारपीट करने लगे। शोरगुल पर वह भी मौके पर पहुँची तो मुल्जिमान द्वारा उसकी भी लाठी–डण्डा व लात–घूसों से मारपीट की जिससे उसे व उसके पति के चोटें आयीं। उन लोगों के चिल्लाने पर मौके पर विश्वनाथ व योगराज आ गये जिन्होंने घटना देखी व बीच–बचाव किया। मुल्जिमान मारपीट करके भाग गये। मारपीट में आयी चोटों का डॉक्टरी मुआयना हुआ था तथा अपने पति के साथ घटना की रिपोर्ट लिखाने थाने पर गयी थी। घटना के संबंध में दरोगाजी ने उसका बयान लिया था।

14. साक्षी पी०डब्लू०–4 डॉ० के०के० तिवारी द्वारा मुख्य परीक्षा में चोटिल वादी मुकदमा के चिकित्सीय प्रपत्र प्रदर्श क–2 को संदर्भित करते हुए कथन किया गया है कि दिनांक 14.09.2006 को उसने राधाकिशन पुत्र श्री शंकरलाल पूरनपुरा थाना ऊसराहार जिला इटावा के शरीर पर आयी चोटों का समय 1:55 PM पर चिकित्सीय परीक्षण किया था। आहत स्वयं मजरूबी चिट्ठी के साथ आया था। चोटिल उपरोक्त के

शरीर पर निम्नांकित चोटें पायी गयीं।

1- एक घाव कटा फटा बांयी तरफ जिस पर पैराइटल क्षेत्र में 3.9 X 0.5 सेमी० के क्षेत्रफल में, हड्डी तक गहरा कान के ऊपर 8 सेमी०, जिसके ऊपर मुलायम लाल रंग की खुरंट थी।

2- एक नीलगू सूजन बायें फोरआर्म पर तथा कलाई व हाथ पर 9.8 x 5.9 सेमी० के क्षेत्रफल में लालिमा युक्त।

3- एक चोट नीलगू दाहिनी कुहनी पर 4.8 X 3.2 सेमी० के क्षेत्रफल में लालिमा लिए हुए बाहर की ओर।

4- एक चोट नीलगू दाहिने घुटने पर बाहर की ओर 3.9 X 2.6 सेमी० के क्षेत्रफल में लालिमा लिए हुए।

15 उसकी राय में उपरोक्त चोटें ताजी थीं, जो कि किसी कुन्द भाले से पहुँचायी गयीं थीं। चोट नं० तीन व चार साधारण थीं तथा चोट सं०-01 व 2 को अन्डर ऑब्जर्वेशन्स में रखा गया था। चोटों के संबंध में राय एक्सरे रिपोर्ट के आने तक रोकी गयी थी। इस प्रपत्र को वह मूल रजिस्टर में प्रमाणित करता हूँ, जो वह साथ लाया हूँ।

16. साक्षी पी०डब्ल्यू०-4 डॉ० के०के० तिवारी द्वारा मुख्य परीक्षा में चोटिल संगीता के चिकित्सीय प्रपत्र प्रदर्श सं० क-3 को संदर्भित करते हुए कथन किया गया है कि उसी दिन उसने समय 1:45 PM पर चोटिल संगीता पत्नी राधाकृष्ण निवासी उपरोक्त का चिकित्सीय परीक्षण किया था, जो मजरूबी चिट्ठी के साथ अपने पति के साथ आयी थी। उसके शरीर पर निम्नांकित चोटें पायीं थीं।

1- एक चोट नीलगू निशान 11.9 सेमी० X 2.1 सेमी० क्षेत्रफल में पीठ में बायीं तरफ Scapula के क्षेत्र में लालिमा लिए हुए था।

2- दर्द की शिकायत दाहिने कंधे के क्षेत्र में कोई बाहरी चोट का निशान नहीं पाया गया। इसे अन्डर ऑब्जर्वेशन्स रखा गया था।

उसकी राय में चोट सं०–1 ताजी और साधारण थी तथा किसी कुन्दाले द्वारा पहुँचायी गयी थी। चोट सं०–2 के लिए एक्सरे चेस्ट की एडवाइज दी गयी थी। कागज सं०–7क/2 उसने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में मूल के साथ तैयार किया था। मूल वह आज अपने साथ लाया है, जिसे उसने प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है। यह चोटें लाठी डण्डों से सुबह 8–9 बजे 14.09.2006 को आना संभव है।

17. साक्षी पी०डब्लू०–5 डॉ०एम०के० जैन द्वारा मुख्य परीक्षा में मजरूबा संगीता व वादी मुकदमा राधाकृष्ण की एक्स–रे रिपोर्ट क्रमशः प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 को संदर्भित करते हुए कथन किया गया कि दिनांक 15.09.2006 को वह बतौर उपरोक्त पद व स्थान पर तैनात था। उस दिन उसने श्रीमती संगीता पत्नी राधाकृष्ण के सीने का एक्सरे किया था। एक्सरे परीक्षण में कुछ असामान्य नहीं पाया गया। उसी दिन उसने राधाकृष्ण पुत्र शंकरलाल के सिर व बाईं कलाई का एक्सरे किया। एक्सरे परीक्षण में सिर में कुछ असामान्य नहीं पाया, बाईं कलाई में रेडियस हड्डी में निचले सिरे में अस्थि भंग पाया गया। उपरोक्त की एक्सरे प्लेटें व रिपोर्ट उसके समक्ष मूल रूप में पत्रावली पर हैं, जो कि उसके हस्तलेख में है। उसने मजरूब संगीता की एक्स–रे प्लेट को वस्तु प्रदर्श 1 व मजरूब राधाकृष्ण की सिर की एक्स–रे प्लेट व हाथ की एक्स–रे प्लेट को क्रमशः वस्तु प्रदर्श 2 व वस्तु प्रदर्श 3 के रूप में साबित किया है।

18. साक्षी पी०डब्लू०–6 विश्वनाथ द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि दिनांक 14.09.2006 की बात है। सुबह 8:00 बजे का समय था। उसके भाई राधाकिशन का उसके पड़ोसी वीरेन्द्र, विनोद, श्रीपाल से पहले से जमीन के बंटवारे का विवाद चला आ रहा था। जिसके बावत पंचायत हुई थी। इसी रंजिश को लेकर दिनांक 14.09.2006 को 8:00 बजे सुबह जब उसका भाई राधाकृष्ण घर पर था, उसी समय मोहनलाल आया और कहा कि विवादित जगह दिखाओ तो वहाँ पहुँचे तो वीरेन्द्र, श्रीपाल व विनोद अपने हाथ में लाठी–डण्डा लेकर निकले और राधाकृष्ण को मां–बहन की

गालियां देकर लाठी–डण्डों से मारने लगे। उसने बीच–बचाव करने का प्रयास किया था। उसके अलावा मौके पर योगराज, संगीता व अन्य लोग आ गये थे। अभियुक्तगणों ने संगीता को भी लाठी–डण्डों से मारा था। चोटें राधाकृष्ण व संगीता के आयीं थीं। राधाकृष्ण के बायें हाथ की कलाई की हड्डी भी टूट गयी थी। मुल्जिमान मारने के बाद भाग गये थे। दरोगा जी ने घटना के बावत मुझसे पूछताछ की थी।

19. साक्षी पी०डब्लू०–7 उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह यादव द्वारा मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि वह वर्ष 2006 में थाना ऊसराहार में तैनात था। दिनांक 27.09.2006 को उसे मु०अ०सं० 65/06 धारा 325,323,504 भा०दं०सं० की विवेचना सुपुर्द की गयी थी, जिसमें उसके द्वारा दिनांक 27.09.2006 को पर्चा –1 नकल चिक व नामजद रपट, नकल मेडिकल रिपोर्ट व एक्सरे रिपोर्ट व बयान H.M. अंकित किये थे। सी.डी.–2 दिनांक 30.06.2009 को किता की गयी थी, जिसमें बयान वादी, बयान चोटिल संगीता का बयान अंकित किया गया व वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया व नक्शा नजरी तैयार किया था जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। इसी तिथि में चश्मदीद गवाहों के बयानात व सफाई साक्ष्य अंकित की थी। सी.डी.–3 दिनांक 01.10.06 को किता की थी। जिसमें अभियुक्त विनोद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सी.डी.–4 दिनांक 04.10.06 को किता की गयी थी, जिसमें अभियुक्त वीरेन्द्र श्रीपाल को कोर्ट में आत्मसमर्पण का विवरण व बयान अंकित किये थे। सी.डी–5 दिनांकित 13.10.06 को किता की गयी थी, जिसमें अभियुक्त मोहनलाल के कोर्ट में आत्मसमर्पण का ब्यौरा अंकित किया गया था तथा अभियुक्त का बयान लेखबद्ध कर आरोपपत्र प्रेषित किया गया था। आरोपपत्र उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में प्रेषित किया था, जो संलग्न पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया।

20. साक्षी पी०डब्लू०–8 कॉ० देव सिंह द्वारा मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि वह हैड मोहर्रिर रामौतार से परिचित हूँ। उसने उनको सरकारी कार्यों में लिखते पढ़ते

देखा है। उनके लेख व हस्ताक्षर से अच्छी तरह परिचित हूँ। पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या 17 क N.C.R. की कार्बन प्रति उन्ही के लेख व हस्ताक्षर में है तथा पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 5 क/2 भी रामौतार के हस्तलेख में है, जिसे इस साक्षी ने प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया है।

21. बचाव पक्ष के द्वारा के द्वारा डी०डब्लू०–1 के रूप में डॉ० के०के० तिवारी को परीक्षित कराया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 14.09.2006 को शाम 6.10 बजे मजरूब रामभरोसे जिसे मजरूबी चिट्ठी के आधार पर पी०एच०सी० सरसई नावर से जिला चिकित्सालय रैफर किया गया था, का डाक्टरी परीक्षण उसने किया था। दौरान परीक्षण उसके बदन पर निम्न चोटें पायी थीं:–

1. खरोंच युक्त नीलगू निशान चेहरे पर बांयी ओर 3.6x0.5 सेमी० के क्षेत्र में नाक से 1.5 सेमी० बाहर थी जिसका रंग लाल था। खरोंच वाले हिस्से में मुलायम लाल रंग की खुरंट मौजूद थी।

उसकी राय में चोट की प्रकृति साधारण थी जो किसी कुदाले से पहुंचायी गयी थी एवं एकदिन पुरानी थी। उसने मजरूब का डाक्टरी मुआयना अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था जिसमें मजरूब के पहचान चिन्ह अंकित करते हुए मजरूब के बायें हाथ का अंगूठा लगाकर प्रमाणित भी किया था। जसे इस साक्षी ने प्रदर्श ख–1 के रूप में साबित किया है।

इसी तिथि पर सायं 6.15 बजे उसने मजरूब मोहन लाल का डाक्टरी मुआयना किया था तथा उसके बदन पर निम्न चोटें पायी थीं:–

1. एक फटा हुआ घाव सिर पर बायीं तरफ पैराइटल क्षेत्र में 2x0.5 सेमी० क्षेत्रफल में हड्डी तक गहरा जिस पर मुलायम लाल खुरंट मौजूद थी। साफ करने पर खून निकल आया,कान के ऊपरी हिस्से से 11.00 सेमी० ऊपर स्थित था।

चिकित्सक की राय में उक्त चोट साधारण थी। किसी कुंदाले से पहुंचायी गयी थी। आधा

दिन पुरानी थी। उक्त डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी तथा जिसमें मजरूब के पहचान चिन्ह अंकित करते हुए बांये हिाा का अंगूठा निशान लगवाया था। चिकित्सीय परीक्षण आख्या को इस साक्षी ने प्रदर्श ख–2 के रूप में साबित किया है। मजरूब को दी गयी मजरूबी चिट्ठी के आधार पर पी०एच०सी० सरसईवार से जिलाअस्पताल इटावा रिफर किया गया।

दिनांक 14.09.2016 को सायं 6.00 बजे उपरोक्त क्रम में उसने मजरूब कांती देवी पत्नी वीरेन्द्र जिला इटावा का डाक्टरी परीक्षण थाने से मिली मजरूबी चिट्ठी के अनुरूप पी०एच०सी० सरसईनावर से रिफर होने के उपरांत किया तथा परीक्षण के दौरान उसने बदन पर निम्न चोटें पायीं:–

1. एक फटा हुआ घाव ठोड़ी के बायीं तरफ जिसकी परिमाप 2.5X0.02 सेमी० थी। जो खाल के नीचे ऊतक(टिशू) तक गहरा था। मुलायम लाल खुरंट मौजूद थी। जो जबडे के निचले बार्डर से 2 सेमी० ऊपर की ओर स्थित थी। उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी। तथा किसी कुंदाले से पहुंचायी गयी थी तथा मुआयने के समय आधा दिन पुरानी थी। मजरूब रिपोर्ट कांती देवी पत्रावली में कागज सं० 28 क/5 मूल रूप में उसके सामने है। जिस पर उसने मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित करते हुए उसका आर०टी०आई० इंजरी रिपोर्ट पर लगवाकर प्रमाणित किया गया। जिसे इस साक्षी ने प्रदर्श ख–3 के रूप में साबित किया है। उपरोक्त सभी मजरूबान की चोटें वाइटल पार्ट पर पायी थी। जो बनवायी हुयी नही हो सकती है। उपरोक्त चोटें दिनांक 14.09.2006 की प्रातः 8.00 बजे कुंदाले से आना सम्भव है।

22. डी०डब्लू०–2 अभियुक्त श्रीपाल द्वारा मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि दिनांक 14.09.2006 को सुबह 8:10 मिनट की घटना है। मेरे मकान के पास में

घनश्याम सिंह के सामने मेरे ताऊ रामभरोसे पुत्र उदयसिंह मौजूद थे। राधाकृष्ण पुत्र शंकरलाल, दयाकिशन पुत्र शंकरलाल, धीरेन्द्र पुत्र हाकिम सिंह, मोतीलाल पुत्र जमुनादीन मेरे ही गांव के हैं। अपने–अपने हाथों में लाठी–डण्डा लेकर आये और मेरे ताऊ रामभरोसे को मारने लगे। मोहन लाल व कान्ती देवी बचाने आये तो मुल्जिमानों ने इन्हें भी लाठी–डण्डों से मारा तभी तीनों लोगों के काफी चोटें आयी थीं। घटना के बाद मैं अपने ताऊ को साइकिल पर बैठाकर थाना ऊसराहार ले गया था और वहाँ पर मेरे सामने ताऊ ने थाने में मौजूद दीवानजी रामौतार सिंह को जुवानी बोलकर रिपोर्ट लिखायी थी तथा ताऊ ने रिपोर्ट की दूसरी प्रति पर निशानी अंगूठा लगाया था। दीवानजी को चिक एन०सी०आर० 51/2006 दिनांक 14.09.2006 समय 10:10 बजे प्रातः स्वयं लिखते हुए व स्वयं अपने हस्ताक्षर करते हुए देखा था। गवाह को चिक एन०सी०आर० सं०–51/06 व कागज सं०–27 क दिखायी गयी। शामिल पत्रावली है तो गवाह ने कहा कि यह एन०सी०आर० मेरे सामने एच०एम० रामौतार ने लिखी थी व उस पर अपने हस्ताक्षर किये थे। गवाह ने एच०एम० रामौतार के हस्ताक्षर प्रमाणित किये, जिस पर प्रदर्श ख–4 डाला गया। मेरे ताऊ रामभरोसे का आज से 6 साल पहले निधन हो चुका है और एच०एम० रामौतार सिंह का कोई पता नहीं है। वह वादी पक्ष से भी तमाम समन/वारण्ट के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए थे और न ही इस पर एन०सी०आर० को साबित करने के लिए न्यायालय के तमाम आदेशों के बावजूद भी आज तक उपस्थित नहीं आये।

23. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुन कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 323 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत 03–03 माह के साधारण कारावास तथा 500/–500/–रुपये के अर्थदण्ड से अर्थ दण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 3–3 माह

के साधारण कारवास , धारा 325 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत एक–एक वर्ष के साधारण कारावास एवं एक–एक हजार रूपये के अर्थ दण्ड से, अर्थ दण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 3–3 माह के साधारण कारवास एवं धारा 504 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत प्रत्येक को 03–03 माह के साधारण कारावास तथा 500/–500/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थ दण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 3–3 माह के साधारण कारवास , जिससे क्षुब्ध होकर यह दाण्डिक अपील अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

24. मैंने अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्कों को सुना, अपील पत्रावली एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया।

25. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क करते हुए कहा गया है कि उभयपक्ष के मध्य जमीन को लेकर विवाद है, जिसके कारण उभयपक्ष में रंजिश है, इसी रंजिश के कारण अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। उक्त झगडे में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को भी चोटें आयी है किंतु अभियोजनपक्ष द्वारा अभियुक्तगण को आयी चोटों का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियोजनपक्ष द्वारा यह भी स्पष्ट नही किया गया है कि किस अभियुक्त द्वारा किस मजरूब को चोट पहुंचायी गयी। अभियोजनपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह सुनिश्चित नहीं हो सका है कि कौन पक्ष अग्रसर था। अभियोजनपक्ष की ओर से घटना का कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी परीक्षित नही कराया गया है। सभी साक्षीगण आपस में सगे सम्बंधी है। अभियोजनपक्ष द्वारा एक्स–रे परीक्षण आख्या को साबित नहीं कराया गया है ऐसी स्थिति में धारा 325 भा०दं०सं० का आरोप

साबित नही माना जा सकता है। इसकेअतिरिक्त न तो एन०सी०आर० में और न ही अभियोजनपक्ष की ओर से परीक्षित किसी भी साक्षी ने अपने साक्ष्य में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा गालियों में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों का उल्लेख नही किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियो मे अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय व आदेश निरस्त कर, उन्हें दोषमुक्त करने की याचना की गयी है।

26. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार दिनांक 14.09.2006 को सुबह 8.00 बजे जब वादी राधाकिशन पी०डब्लू०–1 अपने घर पर था तभी मोहनलाल उसके घर पर आया और उसे घटना स्थल पर लेकर गया जहां पहले से ही उपस्थित अभियुक्तगण ने उसके साथ और उसकी पत्नी संगीता के साथ घटना कारित की । साक्षी पी०डब्लू.०–1 राधा किशन पी०डब्लू०–3 संगीता एवं चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू०–2 योगराज ने अपने साक्ष्य में घटना का समर्थन किया है। चिकित्सक साक्षी पी०डब्लू०–4 ए०के०तिवारी एवं पी०डब्लू०–5 डा० एम०के० जैन ने चुटलों को आयी चोटों की पुष्टि अपने साक्ष्य में की है। अपीलार्थीगण के अनुसार घटना में अभियुक्तगण को भी चोटें आयी थी जिनकी पुष्टि डी०डब्लू०–1 डा०के०के० तिवारी द्वारा अपने साक्ष्य में की गयी है। अपीलार्थीगण द्वारा साक्ष्य से यह भी सिद्ध किया गया है कि उनको आयी चोटों के सम्बंध में थाने पर एन०सी०आर० दर्ज करायी गयी थी। इस प्रकार अभियुक्तगण को चोटें आने का स्पष्टीकरण अभियोजनपक्ष द्वारा दिया जाना आवश्यक था जिसके अभाव में यह तय नही किया जा सकता कि कौन सा पक्ष अग्रसर था। बचावपक्ष/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत साक्षी डी०डब्लू०–1 डा०

के०के०तिवारी के अनुसार उन्होनें दिनांक 14.09.2006 को शाम 6.30 उन्होने मजरूब रामभरोसे(अभियुक्त) की चोटों का चिकित्सीय परीक्षण किया था। चिकित्सीय परीक्षण में उनके शरीर पर खरोंच युक्त नीलगू निाान चेहरे पर बांयी ओर 3.6 से०मी० के क्षेत्र में नाक के क्षेत्र में पायी थी।उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी। उसी दिन उन्होनें मजरूब मोहनलाल के शरीर पर आयी चोटों का चिकित्सीय परीक्षण किया था और दौरान उनके शरीर पर फटा हुआ घाव सिर पर बायीं तरफ पैराइटल क्षेत्र में 2x0.5 सेमी० क्षेत्रफल में हड्डी तक गहरा जिस पर मुलायम लाल खुरंट मौजूद था, साफ करने पर खून निकल आया, कान के ऊपरी हिस्से से 11.00 सेमी० ऊपर स्थित था। उसी दिन उन्होने मजरूब कांती देवी के शरीर पर आयी चोटों का चिकित्सीय परीक्षण किया और , मजरूब कांती देवी के शरीर पर एक फटा हुआ घाव ठोडी के बायीं तरफ 2.5x.02 सेमी० दर्शाया गया है। चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार उपरोक्त तीनों मजरूबो की सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी किंतु अभियुक्तगण को आयी चोटों का सदैव स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है। इस सम्बंध में माननीय न्यायालय द्वारा **रामपत व अन्य बनाम स्टेट आफ हरियाणा, AIR 2009 SC 2847 में भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है किः–**

> 15... It has furthermore well settled that whereas grievous injuries suffered by the accused are required to be explained by the prosecution, simple injuries need not necessarily be. Non-explanation of simple injuries of the nature suffered by the accused would not be fatal.

माननीय न्यायालय द्वारा रामविशम्भर व अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० AIR 2013 SC (Supp) 576 में यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसी प्रकार **माननीय न्यायालय द्वारा** राम औतार व अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी०

AIR 2016 SC 5550 में यही अवधारित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धांतों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण को आयी सभी चोटों का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक नही है। यदि चोटें गम्भीर प्रकृति की हों तभी उनका स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक हैं। यदि अभियोजन साक्ष्य सुस्पष्ट, विश्वसनीय एवं सारहीन हो और चोटें साधारण प्रकृति की हों तब अभियुक्तगण को आयी चोटों का सदैव स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक नही है। प्रस्तुत मामले मे साक्षी डी०डब्लू०–1 डा० के०के० तिवारी के साक्ष्य से स्पष्ट कि अपीलार्थीगण को आयी सभी चोटें साधारण प्रकृति की है। इसलिये अपीलार्थीगण का यह तर्क महत्वहीन हो जाता है कि अभियोजनपक्ष द्वारा अपीलार्थीगण को आयी चोटों का स्पष्टीकरण न दिये जाने के कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध है।

27. अपीलार्थीगण की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में घटित घटना के सम्बंध में एक एन०सी०आर० अपीलार्थीगण द्वारा भी अंकित करायी गयी थी। एन०सी०आर० को साक्षी डी०डब्लू०–2 श्रीपाल द्वारा सिद्ध किया गया है और उपरोक्तानुसार रामभरोसे एवं चुटैल कांती देवी के शरीर पर आयी चोटों को साक्षी डी०डब्लू०–2 डा०के०के०तिवारी द्वारा सिद्ध भी किया गया है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा जिरह में यह स्वीकार किये जाने से कि घटना स्थल वाली विवादित जमीन पर उनका कब्जा नहीं है, से स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थीगण ही अग्रसर पक्ष है। अग्रसर होने के **सम्बंध में माननीय न्यायालय द्वारा** सिकन्दर सिंह व अन्य बनाम स्टेट आफ बिहार, AIR 2010 SC 3580 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि:–

> 26.In order to find out whether right of private defence was available or not, the occasion for and the injuries received by an accused, the imminence of threat to his safety, the injuries caused by the accused and

> circumstances whether the accused had time to have recourse to public authorities are relevant factors, yet the number of injuries is not always considered to be a safe criterion for determining who the aggressor was. It can also not be laid down as an unqualified proposition of law that whenever injuries are on the body of the accused person, the presumption must necessarily be raised that the accused person had caused injuries in exercise of the right of private defence. The defence has to further establish that the injury so caused on the accused probabilise the version of the right of private defence.

इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु, परिस्थितियों को दर्शाया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि यह मान भी लिया जाये कि घटना स्थल वाली विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण काबिज है फिर भी ऐसी परिस्थिति नहीं दर्शायी गयी है कि उनके द्वारा ही अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बंध में नियमानुसार कृत्य किया हो व मजरूबों को चोटें पहुंचायी हो। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के उक्त तर्क में बल प्रतीत नहीं होता हैं।

28. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है कि पी०डब्लू०-4 डा० के०के०तिवारी के साक्ष्य से चुटैलों के शरीर पर आयी चोटों की पुष्टि होती है जिसके अनुसार चुटहल राधाकिशन को चार चोटें, चुटहल संगीता को दो चोटें आना दर्शायी गयी थी जिन्हें आब्जर्बेशन में रखा गया था। पी०डब्लू०-5 डा० एम०के०जैन के साक्ष्य के अनुसार चुटहल राधाकिशन के बायी कलाई में रेडियस हड्डी के निचले सिरें मे अस्थि भंग पाया गया है। इस प्रकार उक्त चुटैल को चोटें गम्भीर प्रकृति की है। अपीलार्थीगण के अनुसार साक्षी डी०डब्लू०-2 डा० डी०के० तिवारी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से अपीलार्थीगण को आयी चोटों से घटना स्थल पर अभियुक्तगण की स्थिति सुस्पष्ट हो

जाती है। अभियोजन साक्षियों ने अपनी साक्ष्य से यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी अभियुक्तगण घटना स्थल पर उपस्थित थे और उनके द्वारा अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में चुटैलों को लाठी डण्डो से चुटैलों को चोटें पहुंचायी गयीं और इसी कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 323/34,325/34 भा०दं०सं० का विरचित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि किस अभियुक्त द्वारा किस चुटेल को मार पीटकर चोटें पहुंचायी गयी, यह साबित न होने से अभियोजन कथानक के संदेहास्पद है, बलहीन हो जाता है।

29. बचावपक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि साक्षी पी०डब्लू०-2 योगराज द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि घटना के समय काफी लोग आ गये थे परंतु अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है। परीक्षित कराये गये सभी साक्षीगण हितबद्ध हैं। अभियोजन कथानक से स्पष्ट है कि घटना दिनांक 14.09.2006 को ग्राम पूरनपुरा में होना दर्शायी गयी हैं। अभियुक्तगण व चुटहल एक ही गांव के निवासी हैं। यहां तक कि उनके पूर्वज समान है। इस बात से इंकार नही किया जा सकता कि आपस के मामलों में लोग सामान्यतया गवाही देने से बचते हैं। इसलिये यदि अन्य ग्राम वासियों को परीक्षित नहीं कराया गया है तो मात्र इस आधार पर ही अभियोजन कथानक को संदिग्ध नही माना जा सकता। इसी प्रकार हितबद्ध साक्षी होने के साक्ष्य के आधार पर ही अभियोजन कथानक को संदिग्ध नही माना जा सकता । माननीय न्यायालय द्वारा कुलेश मन्डल बनाम प०बंगाल राज्य AIR 2007-SC-3228, श्यामल घोष बनाम पं० बंगाल राज्य AIR-2012-SC-3539 एवं पंजाब राज्य बनाम सूरज प्रकाश AIR-2016-SC-1015 में अवधारित किया गया है कि हितबद्ध साक्षी का साक्ष्य संदिग्ध नही हो सकता। प्रस्तुत मामले में चुटैल साक्षी पी०डलू०-1 राधा किशन एवं पी०डब्लू.०- 3 संगीता द्वारा घटना का विवरण अपने साक्ष्य में दिया है तथा घटना में आयी चोटों की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है।

इसलिये अपीलार्थीगण के उपरोक्त दोनों तर्कों मे बल नही पाया जाता है।

30. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है दिनांक 14.9.2006 को घटना स्थल पर अभियुक्तगण की उपस्थिति सिद्ध है। घटना स्थल वाली जमीन के विवाद को लेकर घटना कारित किये जाने का हेतुक सिद्ध है। चुटहल पी०डब्लू०-1 एवं पी०डब्लू०-2 को आयी चोटों की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से की गयी है। साक्षीगण का साक्ष्य सुस्पष्ट, विश्वसनीय एवं सारगर्भित है। इसलिये क्रास केस एवं अग्रसर होने का तर्क महत्वहीन पाया गया है।

31. जहां तक अपीलार्थीगण का यह तर्क है कि घटना में दर्शायी गयी गलौज का विवरण साक्षीगण ने नही दिया। स्पष्ट गाली का उच्चारण दर्शित न किये जाने के कारण धारा 504 भा०दं०सं० का आरोप संदिग्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्षी पी०डब्लू.-1 राधाकिशन ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 14.09.2006 को सुबह 8:00 बजे की घटना है। वह अपने घर पर था। मोहनलाल उनके घर पर रुका और कहा कि विवादित जगह कौन–सी है। घटनास्थल पर उसे लेकर आया, वहाँ पर पहले से श्रीकृष्ण, वीरेन्द्र, विनोद मौजूद थे तथा मोहन लाल उसे लेकर आया था। चारों लोग गाली–गलौज व लाठी–डण्डों से उसे मारने लगे। चिल्लाने पर उसकी पत्नी बचाने आयी तो उसकी भी मारपीट की। मारपीट में उसे व उसकी पत्नी के चोटें आयीं थीं। इसी प्रकार पी०डब्लू.-2 एवं पी०डब्लू०-3 ने अपने साक्ष्य मे पी०डब्लू०-1 के कथनों का समर्थन करते हुए अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौज की और मारपीट किये जाने का कथन किया है। इस प्रकार उपरोक्त तीनों साक्षीगण के साक्ष्य से यह स्पष्ट नही है कि अभियुक्तगण ने उन्हे प्रकोपित करने हेतु किन-किन अपशब्दों का प्रयोग किया। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी विधि व्यवस्था **मोह० वाजिद बनाम स्टेट आफ यू०पी०, क्रिमिनल अपील नं० 2340/2023 निर्णीत दिनांक 08.08.2023 में यह उद्धरित किया गया है कि -**

The allegations with respect to the offence punishable under Section 504 of the IPC can also be looked at from a different perspective. In the FIR, all that the first informant has stated is that abusive language was used by the accused persons. What exactly was uttered in the form of abuses is not stated in the FIR. One of the essential elements, as discussed above, constituting an offence under Section 504 of the IPC is that there should have an act or conduct amounting to intentional insult. Where that act is the use of the abusive words, it is necessary to know what those words were in order to decide whether the use of those words amounted to intentional insult. In the absence of these words, it is not possible to decide whether the ingredient of intentional insult is present.

इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार प्रस्तुत मामले में प्रकोपित किये जाने वाले विशिष्ट शब्दों के अभाव में धारा 504 भा०दं०सं० का अपराध का अवयव पूर्ण न होने के कारण संदेहकी परिधि में आ जाता है।

32. इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा चुटहलों को मार पीट पहुंचाये जाने की पुष्टि साक्ष्य से संदेह से परे साबित होती हैं तथा विशेष अपशब्दों का उपलब्ध न होने के कारण धारा 504 भा०दं०सं० का अपराध संदेह की परिधि में है। माननीय न्यायालय द्वारा राजेन्द्र सिंह बनाम उत्तरांचल राज्य, AIR 2014 SC (Supp) 214 एवं कुलविन्दर सिंह बनाम पंजाब राज्य, AIR 2007 SC 2868 में अवधारित किया गया है कि Falsus in uno falsus in omnibus के सिद्धांत के लागू न होने प्रस्तुत मामले में धारा 504 भा०दं०सं० के अपराध की परिस्थिति संदिग्ध होने पर भी सम्पूर्ण कथानक को संदिग्ध नही माना जा सकता।

33. इस प्रकार उपरोक्त निष्कर्ष के अनुसार अभियुक्तगण की दोषसिद्धि अंतर्गत धारा 323/34 एवं 325/34 भा०दं०सं० की पुष्टि की जाती है एवं धारा 504 भा०दं०सं० के सम्बंध में अपीलार्थीगण द्वारा की गयी अपील स्वीकार की जाती है। तदनुसार अभियुक्तगण धारा 323/34 एवं 325/34 भा०दं०सं० के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है एवं धारा 504 भा०दं०सं० से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं। अतः सिद्धदोष के सम्बंध में भी अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

34 जहां तक अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड का प्रश्न है तो पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण वर्ष 2006 का है, लगभग 18 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। पक्षकारों के मध्य जमीन को लेकर विवाद था। इस बिन्दु पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार दण्डादेश पुष्ट करने का तर्क किया गया है, परन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आपराधिक इतिहास होने का न तो विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा कथन किया गया है और न ही अपीलीय न्यायालय के समक्ष कोई कथन व साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण लगातार मामले में उपस्थित होते रहे है। विद्वान विचारण न्यायालय ने मात्र इस आधार पर परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया कि चार अभियुक्तगण द्वारा मिलकर वादी व उसकी पत्नी को चोटें कारित की गयी हैं। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं परिस्थितियों के आधार पर ही परिवीक्षा अधिनियम के लाभ वंचित किया जाना न्यायोचित नही है बल्कि अपराध का

घटनाक्रम, पक्षकारान का परिवेश एवं उपलब्ध परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित है। दं०प्र०सं० की धारा 360(4) के अनुसार–'' इस धारा के अधीन आदेश किसी अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा जब तक वह अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो। ''

35. माननीय न्यायालय द्वारा निर्णयज **दीनदयाल एव अन्य बनाम उ०प्र० राज्य,2011(1) ए०एल०जे० 449** में एवं निर्णयज विधि **विवेक कुमार तिवारी उर्फ आशु एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी०, 2016(6) ए०एल०जे० 460** में अपीलीय स्तर पर भी लाभ दिया गया है।

36. अतः प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं उपरोक्त विधिक उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड के बिन्दु पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध तुरन्त दण्डादेश पारित न कर उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित पाते हुए दण्डादेश के सम्बंध में अपील आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक अपील सं0 18/2022 श्रीपाल आदि बनाम राज्य आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि दिनांकित 28.03.2022 उपरोक्तानुसार संशोधित कर अभियुक्तगण की दोषसिद्धि अंतर्गत धारा 323/34 एवं 325/34 भा०दं०सं० की पुष्टि की जाती है एवं धारा 504 भा०दं०सं० के अपरध से दोषमुक्त किया जाता है।

दण्ड के सम्बंध में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण श्रीपाल, विनोद, वीरेन्द्र एवं मोहन लाल को तुरन्त दण्डित न कर उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ प्रदान किया जाता है। अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण श्रीपाल, विनोद, वीरेन्द्र एवं मोहन लाल को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे 15 दिन के अन्दर विद्वान प्रोबेशन अधिकारी, इटावा के समक्ष उपस्थित होकर विद्वान प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष मु0 25,000/–,25,000/–रू0 के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू एवं इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करे कि वे एक वर्ष तक सदाचरण कायम रखेंगे व परिशांति कायम रखेंगे। अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो उन्हें आहूत कर विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय एवं आदेश में उसे दी गयी सजा से दण्डित किया जायेगा।

इस निर्णय/आदेश की एक प्रति विद्वान जिला प्रोबेशन अधिकारी, इटावा को प्रेषित की जाये। अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष बंधपत्र व प्रतिभू दाखिल करने की सूचना न्यायालय में दाखिल करे। तत्पश्चात पत्रावली मय निर्णय/आदेश की प्रति के साथ नियमानुसार विचारण न्यायालय प्रेषित की जाये।

(अहसान हुसैन)
दिनांकः–01.06.2024 अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय कक्ष सं0 01, इटावा।
जे0 ओ 0 नं0–यू0 पी0 5981

यह निर्णय एवं आदेश आज उसके द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित करके सुनाया गया।

(अहसान हुसैन)
दिनांकः–01.06.2024 अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय कक्ष सं0 01, इटावा।
जे0 ओ 0 नं0–यू0 पी0 5981